

01.02.2024:-पत्रावली आज वादी जरिये अधिवक्ता श्री हरनाम सिंह के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हरनाम सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया जो शामिल किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में निवासी के नाम दर्ज आराजी का विरासतन नामांतरण संख्या 1014/06.12.2023 का दर्ज हो चुका है। इसलिए उक्त वादपत्र का कोई औचित्य नहीं रह गया। अतः वादपत्र वर्तमान स्तर पर विड़ा फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाकर वादी का वादपत्र मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो। सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

श्री हरनाम सिंह
अधिवक्ता
हनुमानगढ़

